

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

गणेशीकांड

बनाम

सोहनीकांड

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 199/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गणेशीकांड</u> पत्नी श्री <u>उदयराय डांगी</u></p> <p>निवासी- <u>भाधरा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>भाताजी की ओरडी (पण्ड. भरनिनापेय)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>771, 772, 773, 774, 798, 800</u> <u>0-21, 0-24, 0-21, 0-08, 0-02, 0-03, 0-51</u> कुल कीता <u>10</u> कुल रकबा <u>2:31:00</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>भाताजी की ओरडी (पण्ड. भरनिनापेय)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>771, 772, 773, 774, 798, 800</u> <u>0-23, 0-25, 0-53, 0-21, 0-24, 0-21</u> <u>801, 802, 803, 804</u> <u>0-08, 0-02, 0-03, 0-51</u> कुल कीता <u>10</u> रकबा <u>2:31:00</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पच्चे सत्तर</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>रामचन्द्र खटीक</u> (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>